संख्या– / XXIX-2/2024/E- 69600

प्रेषक,

कर्मेन्द्र सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–02 **देहरादूनः दिनांकः मार्च, 2024**

विषयः जनपद पिथौरागढ़ की धारचूला पेयजल योजना स्रोत संवर्द्धन कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–73/अप्रैजल अनु०/अप्रैजल पिथौरागढ़/2, दिनांक 19 फरवरी, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ की धारचूला पेयजल योजना स्रोत संवर्द्धन कार्य की विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत ₹ 291.56 लाख (₹ दो करोड़ इक्यानवे लाख छप्पन हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹ 116.624 लाख (₹ एक करोड़ सोलह लाख बाठस हजार चार सौ मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(vii) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सके।

(viii) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली– भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(ix) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत आंगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व समक्ष अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(x) उक्त योजनाओं के औचित्य/आवश्यकता एवं लागत की उपयुक्तता इत्यादि को सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(xi) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं० 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xiv) चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अत्यन्त अल्पसमय अवशेष रह जाने के दृष्टिगत अवमुक्त धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष व्यय किया जाना सुनिश्चित करते हुए किसी भी दशा में पार्किंग ऑफ फण्ड नहीं किया जायेगा।

(xv) उक्त कार्य/योजना के औचित्य/आवश्यकता व लागत की उपयुक्तता का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता का होगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–102–ग्रामीण जलपूर्ति–03–ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण–00–53–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई०डी० संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/111469/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित संख्या–I/196866/2024, दिनांक 07 मार्च, 2024 के क्रम में जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

Signed by Karmendra Singh
Date: 07-03-2024 18:08:24

(कर्मेन्द्र सिंह)
अपर सचिव

संख्या– (1)/ XXIX-2/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी देहरादून।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशाालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 07-03-2024 19:04:03

(डी०एम०एस० राणा)
संयुक्त सचिव